Office : 2545066
Secy : 2545251 (Fax)
Secy. Resi. : 0291-2701162

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR – 342001
e-mail : Secretary @ barcouncilofrajasthan.org
website: www.barcouncilofrajasthan.org

No.BCR/BA/Ju/2018/4956 दिनांक 15.09.2018

प्रतिष्ठा में,

श्रीमान अध्यक्ष/सचिव महोदय
राज्य की समस्त बार संघ

मान्यवर जी,

बार कौंसिल ऑफ इण्डिया एवं राज्य बार कौंसिल के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक दिनांक 01.09.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुसार सभी बार संघो द्वारा दिनांक 17.09.2018 को सम्बन्धित जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के निर्देशानुसार उक्त ज्ञापन का प्रारूप आपको अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सलंग्न है।

भवदीय,

(राजेन्द्रपाल मलिक)
सचिव
बार कौंसिल ऑफ राजस्थान

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

प्रतिष्ठा में,

1 महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत
2. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत
3. माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, भारत
4. माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, भारत
5. माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार

मार्फत

1. .....
2. .....

ज्ञापन का प्रारूप

महोदयजी,

बार संध ..... की साधारण सभ की बैठक आज दिनांक17.09.2018 को आयोजित की गई। इस बैठक में बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी पत्र दिनांक 05.09.2018 पर विचार–विमर्श किया गया तथा साधारण सभा द्वारा उक्त पत्र पर विचार–विमर्श कर, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :–

1. यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा दिनांक 28.03.2018 को फौजदारी अपील नम्बर 470/2018 कृष्णकान्त तामरेकर बनाम मध्यप्रदेश राज्य में जो निर्णय दिया गया है, वह बार एसोसिएशन, बार कौंसिल को हड़ताल, कार्य बहिष्कार, कोर्ट में प्रवेश पर रोके जाने आदि पर रोक लगा दी है, जो भारत के संविधान में नागरिकों को प्रदत संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। यह वकीलों के मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। अतः यह बार संघ मांग करती है कि मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाये जावें। वकील समुदाय के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के खिलाफ किसी भी प्रकार का कानून अथवा आदेश पारित नही किया जावे क्योंकि किसी भी प्रकार के दमन, अन्याय एवं सरकार की असंवैधानिक नीतियों के विरूद्ध हड़ताल वकीलों का मौलिक अधिकार है और इसमें कटौती स्वीकार नही की जायेगी।
2. यह है कि उच्च शिक्षा कमिशन विश्वविधालय ग्रान्ट अधिनियम 2018 जिसके द्वारा सरकार वकीलों की संस्था के अधिकारों को समाप्त करना चाहती है। उक्त बिल का हम विरोध करते है। बार संघ मांग करती है कि उक्त बिल को वापिस लिया जावे। साथ ही अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 को समाप्त किया जावें।
3. यह है कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्ति बार कौंसिल के प्रतिनिधियों से सलाह करके की जाये। न्यायिक जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
4. यह है कि सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के हितो के लिए बीमा, मेडिक्लेम, पेंशन, नये अधिवक्ताओं को स्टाईफण्ड तथा अन्य परोपकारी लाभ हेतु प्रावधान किये जावे एवं अधिवक्ता कल्याण कोष में सरकार अपना अंशदान देवें। कई जगहों पर वकीलों के बैठने की उचित व्यवस्था नही है उनके लिए चैम्बर्स की समुचित व्यवस्था की जाये।
5. यह है कि वकील समुदाय की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जावें। अधिवक्ताओं को टॉल टैक्स से छूट दिलायी जावें।

अध्यक्ष/सचिव
बार संघ .....